यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

0न0 61/2024

दिनांकः– 05.06.2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. महेश पुत्र मदनमोहन
2. फूलचन्द पुत्र मदनमोहन
3. नगेन्द्र कुमार पुत्र मदनमोहन
4. देवेन्द्र कुमार पुत्र मदनमोहन

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीयान टोडाभीम तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. सतीश चन्द पुत्र कान्तिचन्द
2. नरेश पुत्र कान्तिचन्द
3. दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश
4. वर्षा देवी पुत्री ओमप्रकाश
5. ऋतुदेवी पुत्री ओमप्रकाश
6. पदमा देवी पत्नि ओमप्रकाश
7. लखनलाल पुत्र श्रीमोहन
8. वेदप्रकाश पुत्र श्रीमोहन
9. पुष्पा देवी पुत्री श्रीमोहन
10. माया देवी पुत्री श्रीमोहन
11. लक्ष्मी देवी पुत्री श्रीमोहन
12. विद्या देवी पुत्री श्रीमोहन
13. हरीश कुमार पुत्र पूरणमल शर्मा
    समस्त जातियान बाह्मण निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
14. लोकेश मीना पुत्र रमेश चन्द मीना निवासी जिन्शी का पुरा टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
15. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत नाम दुरूस्ती, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकट वादीगण
श्री रामावतार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 1 व 12
श्री विष्णु कंटक एडवोकेट प्रतिवादी न0 13 व 14

निर्णय दिनांक 14.05.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 657/0.60, 658/0.49, 659/0.45, 660/0.42, 661/946/0.08, 665/947/0.10 कुल किता 6 कुल रकवा 2.14 है0 मे वादी न0 1 ता 4 प्रत्येक बहिस्सा 1/24 के खातेदार काश्तकार दर्ज है बकिया हिस्से के प्रतिवादीगण जमाबन्दी मे [illegible] हिस्सानुसार खातेदार काबिज है, वादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है [illegible] आराजी का बाहमी बटवारा हो रहा है उक्त आराजी जो बाहमी बटवारे [illegible] अपनी है जिसे वादीगण बजमाने बुजुर्गान से काश्त कर रहे है तथा आज भी काश्त कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.05.25 16:33:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

यह है कि प्रतिवादीगण लठैत मुठमर्द राजनैतिक पहुच रखने वाले व्यक्ति है जो बिना किसी अधिकार के वादीगण की सम्पूर्ण आराजी से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है एवं बेचान करना चाहते है तथा बटवारा नही कराना चाहते है जबकि कानूनी रूप से उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है वादी न0 3 का सही नाम नगेन्द्र कुमार कर दिया है जो कि गलत है उसे नगेन्द्र कुमार किया जाना आवश्यक है न्याय संगत है। क्योकि वादी न0 3 राजकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है तथा सभी दस्तावेजात मे वादी न0 3 का नाम नगेन्द्र कुमार है।

बांका दिनांक 28.05.2024 को वादीगण अपने हिस्से की आराजी की देखभाल कर रहे थे कि प्रतिवादीगण आये तथा आराजी को दीगर व्यक्ति को दिखाने लगा वादीगण द्वारा पूछने पर कहने लगा कि हम कुछ नही जानते हम तो किसी लट्ठ वाले व्यक्ति को बेचान करके रजिस्ट्री करवा कर रहेगे। इस पर वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण से तहसील मे चलकर बटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम कही बटवारा कराने नही जायेगे, तथा तुमको तुम्हारे कब्जे की आराजी से बेदखल करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादी अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गया तथा वादी को आराजी से बेदखल करके बेचान कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी अतः दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमायी जाकर ग्राम भीमपुर की आराजी ख0न0 657/0.60, 658/0.49, 659/0.45, 660/0.42, 661/946/0.08, 665/947/0.10 कुल किता 6 कुल रकवा 2.14 है0 मे वादी न0 3 का नाम नरेन्द्र हजफ फरमाया जाकर नगेन्द्र अंकित किया जावे। तथा वादीगण की खातेदारी व कब्जे के अनुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे के अनुसार वादीगण का अलग—अलग खातेदारी के लिये बटवारा स्कीम तलब फरमाये जाने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्री पारित कराई जाकर अलग—अलग खातेदारी कायम किया जावे, व प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजीयात मे वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे, वादी को बेदखल नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा बाद बहस व सुनवाई दिनांक 28.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

उभयपक्षकारान वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा उभयपक्षकारान वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भीमपुर मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:21 IST
Reason: SelfAttested

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख[illegible]	रकवा
1	फूलचन्द पुत्र मदनमोहन हि0 1/4, [illegible] मदनमोहन हि0 1/4, देवेन्द्र कुमार पुत्र मदनमोहन हि0 1/4, प्रदीप कुमार पुत्र महेश चन्द हि0 1/16, संजय कुमार पुत्र महेश चन्द हि0 1/16, जयप्रकाश पुत्र महेशचन्द	[illegible]	0.36

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

	हि0 1/16, मिथलेश पुत्री महेशचन्द हि0 1/16, जाति ब्राह्मण सा.टोडाभीम		
2	नरेश चन्द पुत्र कान्ती चन्द हि0 1/2, सतीश चन्द पुत्र कान्ती हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा.टोडाभीम	658/1	0.14
3	लोकेश मीना पुत्र रमेश चन्द मीना हि0 1/2, जाति मीना सा.जिन्शी का पुरा टोडाभीम, हरीश कुमार शर्मा पुत्र पूरणमल शर्मा हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा.टोडाभीम	658	0.21 है0
4	दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/28, पदमा देवी पत्नि ओमप्रकाश हि0 1/28, वर्षा देवी पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/28, ऋतुदेवी पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/28, लखनलाल पुत्र श्रीमोहन हि0 1/7, वेदप्रकाश पुत्र श्रीमोहन हि0 1/7, पुष्पा देवी पुत्री श्रीमोहन हि0 1/7, मायादेवी पुत्री श्रीमोहन हि0 1/7, लक्ष्मीदेवी पुत्री श्रीमोहन हि0 1/7, विधादेवी पुत्री श्रीमोहन हि0 1/7 जाति ब्राह्मण सा. टोडाभीम	657 660 661/946 665/947 658/3 659/1 कुल किता 6	0.60 0.42 0.08 0.10 0.12 0.09 कुल रकवा 1.41 है0
5	नगेन्द्र कुमार पुत्र मदनमोहन हि0 1/24, फूलचन्द पुत्र मदनमोहन हि0 1/24, देवेन्द्र कुमार पुत्र मदनमोहन हि0 1/24, प्रदीप कुमार पुत्र महेश चन्द हि0 1/96, संजय कुमार पुत्र महेश चन्द हि0 1/96, जयप्रकाश पुत्र महेश चन्द हि0 1/96, मिथलेश पुत्री महेश चन्द हि0 1/96, नरेश चन्द पुत्र कान्ती चन्द हि0 1/30, सतीश चन्द पुत्र कान्तीचन्द हि0 1/30, दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश हि0 1/42, पदमा देवी पत्नि ओमप्रकाश हि0 1/42, वर्षा देवी पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/42, ऋतुदेवी पुत्री ओमप्रकाश हि0 1/42, वेदप्रकाश पुत्र श्रीमोहन हि0 2/21, लखनलाल पुत्र श्रीमोहन हि0 2/21, पुष्पा देवी पुत्री श्रीमोहन हि0 2/21, मायादेवी पुत्री श्रीमोहन हि0 2/21, लक्ष्मीदेवी पुत्री श्रीमोहन हि0 2/21, विधादेवी पुत्री श्रीमोहन हि0 2/21, लोकेश मीना पुत्र रमेश चन्द मीना हि0 1/20, जाति मीना सा. जिन्शी का पुरा टोडाभीम, हरीश कुमार शर्मा पुत्र पूरणमल शर्मा हि0 1/20 जाति ब्राह्मण सा.टोडाभीम	658/2	0.02

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:33:21 IST
Reason: SelfAttested